न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी– सॉंवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः– 12/2016 नगर सुधार न्यास एक्ट (RCMS No.2016/00037)

1. विद्यादेवी पत्नी स्व0 महेन्द्रसिंह
2. निर्मलसिंह पुत्र स्व0 महेन्द्रसिंह
3. अनूपसिंह पुत्र स्व0 महेन्द्रसिंह
4. संतोष पत्नी स्व0 कमलसिंह

जाति जाट निवासी गौरीशंकर कॉलोनी सारस होटल के पीछे तहसील व जिला भरतपुर।

5. खेलप्रिय पुत्र स्व0 कमलसिंह
6. मानसी पुत्री स्व0 कमलसिंह
7. राहुल पुत्र कमलसिंह

नावा0 जरिये वली सरपरस्त माता संतोष पत्नी स्व0 कमलसिंह जाति जाट, नि0 गौरीशंकर कॉलोनी, सारस होटल के पीछे भरतपुर।

.........**अपीलान्ट**

बनाम

नगर सुधार न्यास भरतपुर तामील जरिये सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर।

..........**अप्रार्थी**

प्रथम अपील विरूद्ध आदेश सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर दिनांक 25.03.2015 बाबत हटाये जाने अतिक्रमण प्लॉट संख्या 65, 66, 67 गौरीशंक कॉलोनी सारस चौराह भरतपुर। अंतर्गत धारा 91 (1) (2) नगर सुधारन्यास अधिनियम।

उपस्थितिः–

श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।

नि र्ण य

दिनांक 12.02.2024

उक्त अपील अंतर्गत धारा 91 (1)(2) नगर सुधार न्यास अधिनियम के तहत खिलाफ सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर के द्वारा पारित अवैध अतिक्रमण हटाये जाने संबसधित आदेश दिनांक 25.03.2015 के खिलाफ पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्टस के द्वारा भूखण्ड संख्या 65, 66, 67 के सहारे–सहारे रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ है इस संबध समस्त कॉलोनीवासी गौरीशंकर कॉलोनी सारस चौराह भरतपुर के द्वारा कई बार सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर के समक्ष इस आशय के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु अपीलान्ट द्वारा निरन्तर अतिक्रमण किया जा रहा है अवैध अतिकमण से नाली–नाले व आम रास्ता अवरूद्ध हो गया है। जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है, इसलिये इस अवैध अतिक्रमण को रोका जावे, तब सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा पटवारी नगर सुधार न्यास भरतपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 25.03.2015 को रिकार्ड पर लिया गया। जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि ... ...'' संलग्न लेआऊट प्लान में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। उक्त भूमी पूर्व में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी की भूमि थी जिस पर 90 बी के आधार पर लेआऊट पास किया गया है। भूखण्ड संख्या 65, 66, 67 के सहारे–के रास्ते व 73, 74 के सहारे के रास्ते पर बाउण्ड्रीवॉल बनाकर व गेट लगाकर अतिक्रमण किया गया है के आधार पर सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश

दिनांक 24.03.2015 पारित कर आदेश दिये कि चूंकि नक्शा अनुमोदित है, भूखण्ड संख्या 65, 66, 67 के सहारे–सहारे रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ है, अतः रास्ते से अतिक्रमण हटवाया जाना प्रस्तावित है। नगर सुधार न्यास भरतपुर के इस आदेश दिनांक 25.03.2015 के खिलाफ यह अपील अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील रैस्पाडेन्ट उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2015 विधिविरूद्ध व रिकार्ड के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। भूखण्ड संख्या 65, 66, 67, 73 व 708 जो कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1490, 1494, 1495, 1497 चक नं0 3 गौरीशंकर का भाग है, वह अपीलान्टस की खातेदारी का रकबा है। इस कुल रकबे 3 हैक्टेयर 24 ऐयर में 3 बीघा 10 बिस्वा पर अपीलान्टस का कब्जा है व मौके पर उनके मकान आदि बने हुये है। मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। नगर सुधार न्यास ने नये ले–आऊट प्लान में गलत रूप से नक्शा दर्शा रखा है जबकि पूर्व के नक्शें में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। अपीलान्टस करीब 50 वर्षों से वहां निवास कर रहे है। कॉलोनीवासीयों के लिये अलग से रास्ता निकाला हुआ है। मात्र पार्टीबंदी के आधार पर सचिव नगर सुधार न्यास ने यह आदेश जारी किया है जो कि निरस्तनीय है। रैस्पोडेन्टस ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया व एकतरफा में तथाकथित रास्ते पर अतिक्रमण मानते हुये अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये हैं। उनका यह कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। यदि अपीलान्टस को सुनवाई का मौका दिया जाता तो समस्त तथ्य रैस्पोडेन्ट के समक्ष आ जाते, इस कारण सचिव, नगर सुधार न्यास की ओर से जारी अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2015 निरस्तनीय है। इसके अलावा वकील अपीलान्ट द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 भरतपुर द्वारा दीवानी अपील संख्या 20/2018 (CIS NO. 47/2018) विद्यादेवी वगैरह वनाम नगर सुधार न्यास भरतपुर जरिये सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर में निर्णय दिनांक 06.11.2020 पारित करते हुये। अपीलान्टस की अपील को स्वीकार करते हुये यह निर्णय किया है कि वादी का दावा विरूद्ध प्रतिवादी वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा डिकी कर प्रतिवादी को पावन्द व निर्देशित किया जाता है कि वह विना विधिक प्रकिया अपनायें वादी को विवादित जायदाद से वेदखल नहीं करेगें। उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में दिनांक 26.09.2023 को पेश की गई है। ऐसी स्थिति में जब इसी प्रकरण में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया है तो अब सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित रहता है, क्योंकि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया था। इसलिऐ उक्त आदेश की जानकारी अपीलानट को नहीं होना स्वाभाविक था, इसके अलावा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट को इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर के आदेश दिनांक 25.03.2015 की अपील करना आवश्यक है। नगर सुधार न्यास द्वारा अतिक्रमण हटाने संबधी कार्यवाही पुनः चालू करने पर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब उन्होंने दिनांक 04.03.2016 को बताया कि दिनांक 25.03.2015 के आदेश की अपील करनी होगी। इस पर अपीलान्टस ने दस्तावेजों की व्यवस्था की और उक्त अपील जानकारी होने से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2015 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया व अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2015 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 09.03.2016 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। मियाद के संबंध में अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें अपीलाधीन आदेश की अपील किये जाने के संबंध में अधिवक्ता द्वारा दिनांक 04.03.2016 को सलाह दिये जाने पर नगर सुधार न्यास से नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया गया और न ही काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज करने से बचना चाहिए। इसलिए अपील अपीलान्ट दफा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थना पत्र के आधार पर अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो नगर विकास न्यास के कार्यालय से प्राप्त हुई पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कॉलोनीवासियों द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर को दिनांक 02.03.2015 को अपीलान्ट के द्वारा गौरीशंकर कॉलोनी में अतिक्रमण किये जाने व उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर सचिव नगर विकास न्यास को मौके की जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिस पर नगर विकास न्यास की ओर से अपीलान्ट को नगर विकास अधिनियम 1991 की धारा 92 ए के तहत दिनांक

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

16.03.2015 को नोटिस जारी किया गया। विवादित भूमि का मौका देखने के बाद इस आशय की रिपोर्ट आने पर की संलग्न ले आउट प्लान में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। उक्त भूमि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी की भूमि थी। जिस पर 90 बी के आधार पर लेआउट पास किया गया है। भूखण्ड संख्या 65, 66, 67 के सहारे के रास्ते व 73, 708 के सहारे के रास्ते पर वाउण्ड्रीवाल बनाकर गेट लगाकर अतिक्रमण किया गया है। मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की ओर से रास्ते में अतिक्रमण किया हुआ मानकर अतिक्रमण हटवाया जाना प्रस्तावित किये जाने पर सचिव नगर सुधार न्यास द्वारा दिनांक 25.03.2015 को पत्रावली पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों की पालना नगर सुधार न्यास की ओर से किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किये जाने का कोई उल्लेख न तो नगर विकास न्यास की पत्रावली में है और न ही अपीलान्ट की ओर से ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को प्रीमैच्योर श्रेणी में माना जा सकता है, परन्तु अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में दिनांक 22.09.2023 को अपर जिला न्यायाधीश संख्या भरतपुर की ओर से प्रकरण संख्या 20/2018 उनवानी विद्या देवी बनाम नगर सुधार न्यास में पारित निर्णय दिनांक 06.11.2020 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें माननीय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 भरतपुर की ओर से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नगर सुधार न्यास को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया है कि बिना विधिक प्रकिया अपनाये वादी को विवादित जायदाद से बेदखल नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण में भी नगर सुधार न्यास को यह निर्देश दिया जाना समीचीन है कि विवादित भूमि यदि रास्ते की भूमि है तो अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने व विधिक प्रक्रिया अपनाने के बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही अमल में लावें।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण सचिव, नगर सुधार न्यास, भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के रास्ते के होने के संबंध में पुनः जॉच करने, अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने तथा विधिक प्रकिया की पूर्ण पालना करते हुए गौरीशंकर कॉलोनीवासियों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2015 के संबंध में समुचित कार्यवाही करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर